

न्यायालय:- तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग- 2, गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.  
(समक्ष : पंकज शर्मा)

व्य. वाद क्रमांक :- 36-ए/16

संस्थित दिनांक :- 04/07/16

01. राजू गुर्जर पुत्र सोवरन सिंह गुर्जर, उम्र 31 वर्ष।  
 निवासी :- ग्राम अतरसोहा, तहसील-गोहद, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)।  
 ----- वादी

विरुद्ध

01. सोवरन सिंह पुत्र रामनाथ सिंह गुर्जर, उम्र 61 वर्ष।  
 02. राय सिंह गुर्जर पुत्र सोवरन सिंह गुर्जर, उम्र 26 वर्ष।  
 निवासीगण : ग्राम अतरसोहा, तहसील-गोहद, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)।  
 03. म.प्र.राज्य द्वारा कलेक्टर, जिला-भिण्ड (म.प्र.)।  
 ----- प्रतिवादीगण

// निर्णय //

{आज दिनांक :- 31/01/2018 को घोषित किया}

(01). वादी राजू द्वारा यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध ग्राम अतरसोहा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 113/02 मिन क्षेत्रफल 0.02, सर्वे क्रमांक 14 क्षेत्रफल 1.65, सर्वे क्रमांक 49 क्षेत्रफल 0.30, सर्वे क्रमांक 50 क्षेत्रफल 0.06 एवं मौजा करवास, तहसील-गोहद, स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1160 क्षेत्रफल 1.01, सर्वे क्रमांक 1162 क्षेत्रफल 0.74, के संदर्भ में स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष वावत् प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूमि को निर्णय के आगे की कड़िकाओं में वादग्रस्त भूमि नाम से सम्बोधित किया गया है।

(02). प्रकरण में वादग्रस्त भूमियों के सर्वे क्रमांक, उनके क्षेत्रफल एवं उनके ग्राम अतरसोहा एवं मौजा करवास में स्थित होना, प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकृत एक तथ्य है।

(03). स्वीकृत तथ्यों से इतर वादी के अभिवचन संक्षेप में सारतः इस प्रकार हैं कि वादग्रस्त भूमियाँ वादी के पितामह रामनाथ के समय की पैतृक एवं अविभाजित सम्पत्तियाँ हैं, जिनमें वादी को जन्मना हक प्राप्त है। वादग्रस्त भूमि पर वादी स्वामी होकर आधिपत्यधारी है। वादग्रस्त भूमियों के राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी क्रमांक 01 का नाम अंकित है। वादग्रस्त भूमियों के वादी के हिस्से से प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक :- 30/05/2016 को वादग्रस्त भूमि में से वादी का हिस्सा बलपूर्वक अन्यत्र

विक्रय करने की धमकी दी गई। वादी के पितामह रामनाथ के पुत्र उत्तम सिंह के हिस्से का प्रकरण में कोई विवाद नहीं है, क्योंकि वह 20 वर्ष से अलग रह रहे हैं और उनकी कृषि भूमि अलग है। वादग्रस्त भूमि पितामह रामनाथ से पिता प्रतिवादी क्रमांक 01 सोवरन को प्राप्त हुई थी, इसलिए वह सहदायिक सम्पत्ति है। अतः वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि यह घोषित किया जाये कि वादी वादग्रस्त भूमि का प्रतिवादीगण के साथ सहदायिक होने के कारण जन्मना भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी है और प्रतिवादीगण को स्थाई रूप से निषेधित किया जाये कि वह वादग्रस्त भूमि का इस प्रकार कोई अंतरण ना करें, जिससे वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े और वादी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल ना करे।

(04). स्वीकृत तथ्यों से इतर वादी के समस्त अभिवचनों को विनिर्दिष्ट रूप से अस्वीकार करते हुए प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा वादोत्तर में किये गये अभिवचन संक्षेप में सारतः इस प्रकार हैं कि वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पत्ति ना होकर, प्रतिवादी क्रमांक 01 सोवरन द्वारा स्वअर्जित भूमि हैं, जिसमें वादी का कोई जन्मना हक नहीं है। वादग्रस्त भूमि सहदायिक सम्पत्ति नहीं है। वादी लगभग आठ-दस साल पूर्व दस लाख रुपये नगद लेकर घर से अलग होकर बामौर जाकर निवास करने लगा है। प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमियाँ या उनमें से किसी हिस्सा बेचने की बातचीत नहीं की। वादी द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 01 की पुत्रियों को वंशवृक्ष में नहीं दर्शाया गया है। फलतः उपरोक्तानुसार वादी का वाद सब्यय निरस्त किया जाये।

(05). प्रतिवादी क्रमांक 03 म.प्र.राज्य पर समन की सम्यक् तामील के उपरांत भी उसकी ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं हुआ और उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है।

(06). उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर दिनांक :- 26/04/2017 को वाद-प्रश्न विरचित किये गये, जो कि निम्नलिखित हैं, जिनके समक्ष विवचेना के उपरांत निष्कर्ष अंकित किए गये हैं :-

क्रमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01.	क्या वादी भूमि सर्वे क्रमांक 113/02 मिन क्षेत्रफल 0.02, सर्वे क्रमांक 14 क्षेत्रफल 1.65, सर्वे क्रमांक 49 क्षेत्रफल 0.30, सर्वे क्रमांक 50 क्षेत्रफल 0.06 स्थित ग्राम अतरसोहा एवं भूमि सर्वे क्रमांक 1160 क्षेत्रफल 1.01, सर्वे क्रमांक 1162 क्षेत्रफल 0.74 स्थित मौजा करवास, का प्रतिवादी क्रमांक 01 सोवरन एवं 02 राय सिंह के साथ सहदायिक होने के कारण सहस्वामी एवं सहआधिपत्यधारी है?	“अप्रमाणित”

02. क्या प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा वादग्रस्त भूमि में निहित वादी के अधिकारों में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है? “अप्रमाणित”
03. क्या वादी द्वारा वाद का समुचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है? “प्रमाणित”
04. क्या वाद में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष है? “प्रमाणित”
05. अंतिम निष्कर्ष एवं व्यय? वाद निर्णय के पद क्रमांक 16 के अनुसार अप्रमाणित पाये जाने से निरस्त किया गया।

/// निष्कर्ष एवं आधार ///

#### वाद प्रश्न क्रमांक : 01

(07). इस वाद प्रश्न के संदर्भ में वादी राजू वा.सा.01 ने उसके अभिवचनों के अनुरूप शपथ पत्रीय मुख्य परीक्षण कथन प्रस्तुत किया है। साक्षी श्रीमती केशकली वा.सा.02 ने वादी के अभिवचनों के अनुरूप उसका मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है। वादी ने उसके वाद के समर्थन में धारा 80 सीपीसी का नोटिस प्र.पी.01, नोटिस की रसीद प्र.पी.02, वादग्रस्त भूमि के वर्ष 2015-16 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्र.पी.03 एवं प्र.पी.04, वादग्रस्त भूमि के वर्ष 2017-18 के खसरे की कम्प्यूटरजनित प्रतिलिपियाँ प्र.पी.05 एवं प्र.पी.06, रीनम्बरिंग सूची की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.07 एवं वादग्रस्त भूमि के वर्ष 1983-84 के खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.08 प्रस्तुत की है।

(08). प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 09 में वादी राजू वा.सा.01 ने यह दर्शित किया है कि ग्राम करवास स्थित वादग्रस्त भूमि उसके पिता सोवरन एवं ताउ उत्तम सिंह ने रानी दुर्गावती से क्रय की थी। साक्षी ने प्रतिवादी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि ग्राम करवास स्थित वादग्रस्त भूमि उसके पिता सोवरन एवं ताउ उत्तम सिंह ने पितामह रामनाथ के निधन के पश्चात् और वादी राजू के जन्म के पश्चात् क्रय की थी। वादी राजू वा.सा.01 द्वारा दर्शित उक्त तथ्यों से यह दर्शित होता है कि वादग्रस्त भूमि स्थित ग्राम करवास वादी के पिता प्रतिवादी क्रमांक 01 सोवरन एवं उसके भाई उत्तम सिंह द्वारा वादी राजू के जीवनकाल में क्रयशुदा भूमि है, ना कि प्रतिवादी क्रमांक 01 सोवरन को उसके पिता से प्राप्त पैतृक अथवा सहदायिक सम्पत्ति। वादी की ओर से प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि स्थित ग्राम करवास एवं अतरसोहा के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपियों में वादग्रस्त भूमियों के स्वामी एवं आधिपत्यधारी के रूप में प्रतिवादी क्रमांक 01 सोवरन का नाम अंकित है, ना

कि वादी राजू का। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 12 में वादी राजू वा.सा.01 ने प्रतिवादी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि के राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी क्रमांक 01 सोवरन का नाम वादग्रस्त भूमि के स्वामी के रूप में अंकित है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 10 में वादी राजू वा. सा.01 ने प्रतिवादी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमियों पर खेती उसके पिता सोवरन द्वारा कराई जा रही है। वादी राजू द्वारा स्वीकृत उक्त तथ्य एवं वादी द्वारा प्रस्तुत खसरो की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अवलोकन से स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि वर्तमान में वादग्रस्त भूमियों पर वादी राजू आधिपत्यधारी ना होकर उसका पिता प्रतिवादी क्रमांक 01 सोवरन आधिपत्यधारी है।

(09). जहाँ तक ग्राम अतरसोहा स्थित वादग्रस्त भूमियों के सहदायिक सम्पत्ति होने का प्रश्न है, वहाँ वादी राजू द्वारा इस वावत् उसके अभिवचनों का समर्थन करते हुये मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 08 में वादी राजू वा.सा.01 ने प्रतिवादी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम अतरसोहा प्रतिवादी सोवरन एवं उसके बड़े भाई उत्तम सिंह द्वारा कय की गई भूमि थी। साक्षी ने स्वतः कहा है कि उसके पितामह रामनाथ द्वारा कय की गई भूमि थी। वादी राजू की बहन केशकली वा.सा.02 ने प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 प्रतिवादी अधिवक्ता के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि ग्राम अतरसोहा की वादग्रस्त भूमि उसके पिता सोवरन एवं ताउ उत्तम सिंह की स्वअर्जित सम्पत्ति है और स्वतः कहा है कि उसके पितामह रामनाथ से प्राप्त सम्पत्ति है। साक्षी बरजोर वा.सा.03 ने उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में यह दर्शित किया है कि उसे यह जानकारी नहीं है कि प्रतिवादी सोवरन पर ग्राम अतरसोहा में स्थित वादग्रस्त भूमि कहाँ से आई है। वादी राजू वा.सा.01 ने प्रतिवादी अधिवक्ता के इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसने हस्तगत वाद में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया कि जिससे यह दर्शित होता हो कि वादग्रस्त भूमि उसके पितामह रामनाथ से उसके पिता सोवरन को प्राप्त हुई हो। उल्लेखनीय है कि अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि वादी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसमें वादग्रस्त भूमियाँ वादी के पितामह रामनाथ के नाम दर्ज हो या ऐसा भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह दर्शित होता हो कि रामनाथ की मृत्यु के उपरांत वादग्रस्त भूमियाँ वादी के पिता प्रतिवादी सोवरन के नाम नामांतरित हुई हो। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 08 में ही वादी राजू वा.सा.01 ने प्रतिवादी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि स्थित ग्राम अतरसोहा उसके पिता सोवरन के एकमेव स्वामित्व की सम्पत्तियाँ हैं। इस प्रकार वादी राजू वा.सा.01 की उक्त स्वीकारोक्ति के अनुसार वादग्रस्त भूमि स्थित ग्राम अतरसोहा जो कि उसके पिता सोवरन के एकमेव स्वामित्व की है, में प्रतिवादी सोवरन के जीवनकाल में वादी को किस प्रकार हित प्राप्त है, या वह भूमियाँ किस प्रकार सहदायिक सम्पत्ति है, वादी द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है।

(10). प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में प्रतिवादी क्रमांक 01 सोवरन प्रति.सा.01 ने वादी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसके बड़े भाई एवं उसने ग्राम अतरसोहा में स्वयं कोई भूमि कय नहीं की है। साक्षी आगे कहता है कि ग्राम अतरसोहा स्थित वादग्रस्त भूमि उसे उसके बड़े भाई उत्तम सिंह से हिस्से में प्राप्त हुई थी, लेकिन उक्त भूमि उत्तम सिंह पर कहां से आई, उसे नहीं मालूम। साक्षी आगे कहता है कि उक्त बंटवारा कब और कहां हुआ था, इसकी भी उसे कोई जानकारी नहीं है। परन्तु साक्षी ने वादी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि ग्राम अतरसोहा एवं करवास की वादग्रस्त भूमियाँ उसके पितामह जुन्हारे सिंह के समय की भूमि है और इस कारण वादी राजू उक्त वादग्रस्त भूमि में सहदायिक है। यद्यपि प्रतिवादी सोवरन प्रति.सा.01 स्वयं यह दर्शित करने में असफल रहा है कि वादग्रस्त भूमि स्थित ग्राम अतरसोहा उसके या उसके बड़े भाई उत्तम सिंह के पास किस स्रोत से आई। परन्तु यह प्रमाणित करने का भार वादी पर था, कि वह यह प्रमाणित करता कि वादग्रस्त भूमि स्थित ग्राम अतरसोहा उसके पिता प्रतिवादी क्रमांक 01 सोवरन के पास उसके पितामह रामनाथ से सहदायिक सम्पत्ति के रूप में उत्तरजीवी के तौर पर न्यागमित हुई थी, लेकिन वादी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है। तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये कि वादग्रस्त भूमि स्थित ग्राम अतरसोहा पैतृक सम्पत्ति थी और वह वादी के पिता सोवरन प्रति.सा.01 को उसके पिता रामनाथ से प्राप्त हुई थी, तब भी वादी यह दर्शित करने में असफल रहा है कि उक्त वादग्रस्त भूमियों के संबंध में पितामह रामनाथ के जीवनकाल में कौन-कौन सहदायिक थे, रामनाथ की मृत्यु के पश्चात् अन्य कौन-कौन सहदायिक शेष रहे। यदि वादग्रस्त भूमियों के अन्य सहदायिक पितामह रामनाथ के जीवनकाल में रहे होते, तो रामनाथ की मृत्यु के पश्चात् शेष सहदायिकों के नाम रामनाथ का नाम विलोपन के पश्चात् राजस्व अभिलेख में शेष रहते अथवा उत्तरजीवी के रूप में अंकित किये जाते।

(11). वैसे तो मूल रूप से वादी यह प्रमाणित करने में ही असफल रहा है कि वादग्रस्त भूमियाँ सहदायिक सम्पत्ति थी और वादी यह भी प्रमाणित करने में असफल रहा है कि वादग्रस्त भूमि स्थित ग्राम अतरसोहा उसके पिता प्रतिवादी क्रमांक 01 सोवरन प्रति.सा.01 को उसके पिता रामनाथ से उत्तरजीवी के रूप में प्राप्त हुई थी, अथवा उत्तराधिकारी के रूप में। इसी प्रकार वादी द्वारा उसके अभिवचनों एवं साक्ष्य में यह दर्शित किया गया है कि उसके पितामह रामनाथ के एक अन्य पुत्र उत्तम सिंह का हिस्सा अलग है, जिसके बारे में कोई विवाद नहीं है, जिससे यह दर्शित होता है कि यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये कि वादग्रस्त भूमियाँ मूलतः सहदायिक सम्पत्ति थी, तो भी उनका विभाजन पितामह रामनाथ के उत्तरजीवियों के मध्य हो चुका है। वादी के पिता सोवरन प्रति.सा.01 एवं उसके भाई उत्तम सिंह के मध्य ग्राम अतरसोहा एवं करवास की भूमियों के बंटवारे के तथ्य को स्वयं वादी राजू वा. सा.01, उसकी बहिन केसकली वा.सा.02 एवं उसके मामा बरजोर वा.सा.03 ने उसके न्यायायलीन अभिसाक्ष्य में स्वीकार किया है। यह सुस्थापित विधि है कि बंटवारे में प्राप्त सम्पत्ति स्वअर्जित सम्पत्ति के स्वरूप की सम्पत्ति होती है।

(12). इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि वादी यह प्रमाणित करने में असफल रहा हैं कि वह भूमि सर्वे क्रमांक 113/02 मिन क्षेत्रफल 0.02, सर्वे क्रमांक 14 क्षेत्रफल 1.65, सर्वे क्रमांक 49 क्षेत्रफल 0.30, सर्वे क्रमांक 50 क्षेत्रफल 0.06 स्थित ग्राम अतरसोहा एवं भूमि सर्वे क्रमांक 1160 क्षेत्रफल 1.01, सर्वे क्रमांक 1162 क्षेत्रफल 0.74 स्थित मौजा करवास, का प्रतिवादी क्रमांक 01 सोवरन एवं 02 राय सिंह के साथ सहदायिक होने के कारण सहस्वामी एवं सहआधिपत्यधारी है। फलतः वाद प्रश्न क्रमांक 01 का निष्कर्ष “अप्रमाणित” के रूप में दिया जाता है।

#### **वाद प्रश्न क्रमांक : 02**

(13). अभिवचनों में वादी द्वारा यह दर्शित किया गया है कि प्रतिवादी सोवरन द्वारा दिनांक : 30/05/2016 को वादग्रस्त भूमि को अन्यत्र विक्रय करने एवं बलपूर्वक कब्जा करने की धमकी वादी को दी गई। जबकि प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 11 में वादी राजू वा.सा.01 ने यह दर्शित किया है कि वह यह नहीं बता सकता कि प्रतिवादी सोवरन ने वादग्रस्त भूमि विक्रय किये जाने की बातचीत किससे एवं कब की थी। साक्षी आगे कहता है कि उसके पिता सोवरन ने वादग्रस्त भूमि विक्रय किये जाने के संबंध में उसे कोई धमकी कभी नहीं दी। उल्लेखनीय यह भी है कि चूँकि वाद प्रश्न क्रमांक 01 के निष्कर्ष के अनुसार वादी को वादग्रस्त भूमि का सहस्वामी एवं सहआधिपत्यधारी होना प्रमाणित नहीं पाया गया है, इसलिए प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमियों में निहित वादी के किसी हित में अवैध हस्तक्षेप करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। फलतः वाद प्रश्न क्रमांक 02 का निष्कर्ष भी “अप्रमाणित” के रूप में दिया जाता है।

#### **वाद प्रश्न क्रमांक : 03**

(14). हस्तगत स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष बावत प्रस्तुत किया गया है। स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष के वाद में वाद मूल्यांकन का सिद्धान्त धारा :- 7 (IV) c न्यायालय शुल्क अधिनियम में उपबंधित है जिसके अनुसार वादी को उसके द्वारा चाहे गये अनुतोष के मूल्यांकन करने की स्वतंत्रता है तथा उसे किये गये मूल्यांकन पर मूल्यानुसार न्यायशुल्क अदा करना होता है। वादी द्वारा अनुतोष का कुल मूल्यांकन 1740/- रुपये निर्धारित किया गया है तथा मूल्यानुसार 600/- रुपये न्यायशुल्क अदा किया गया है, जो कि जो कि पर्याप्त एवं उचित है। फलतः इस वाद प्रश्न का निष्कर्ष “प्रमाणित” के रूप में विनिश्चित किया जाता है।

#### **वाद प्रश्न क्रमांक : 04**

(15). प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 ने उनके वादोत्तर के अतिरिक्त आपत्ति के पद क्रमांक 01 में सारतः यह अभिवचन किया है कि प्रतिवादी

क्रमांक 01 की केशकली वा.सा.02 एवं गुड्डी दो पुत्रियों भी है, जिन्हें वादी द्वारा वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है, इसलिए प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष है और इस कारण वादी का वाद निरस्त किये जाने योग्य है। वादी राजू वा.सा.01 ने उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 11 में प्रतिवादी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसके पिता सोवरन के दो पुत्र एवं दो पुत्रियाँ हैं और उसने हस्तगत वाद पत्र में उसकी बहनों केशकली एवं गुड्डी को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया है। यदि तर्क के लिए वादी के अभिवचनों के अनुसार वादग्रस्त भूमियों को अविभाजित सहदायिक सम्पत्ति होना मान लिया जाये, तब सोवरन की दो पुत्रियाँ केशकली एवं गुड्डी भी सहदायिक होने के कारण प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हो जाती हैं, जिन्हें प्रकरण में वादी द्वारा पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया है, जिससे प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष उत्पन्न होता है। फलतः इस वाद प्रश्न का निष्कर्ष “प्रमाणित” के रूप में दिया जाता है।

### { अंतिम निष्कर्ष एवं व्यय }

- (16). उपरोक्त साक्ष्य विवेचना से यह स्पष्ट है कि वादी उसका वाद प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः वादी का वाद निरस्त किया जाता है।
- (17). वादी स्वयं के साथ-साथ प्रतिवादीगण का भी वाद-व्यय वहन करेगा।
- (18). अभिभाषक शुल्क म.प्र. व्यवहार न्यायालय नियम 1961 के नियम 523 के अनुसार अथवा प्रमाणित किये जाने पर दोनों में से जो भी कम हो देय होगा।
- (19). तदनुसार जय पत्र बनाया जावे।

निर्णय आज दिनांकित एवं  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया।

(पंकज शर्मा)  
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2  
गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.

(पंकज शर्मा)  
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2  
गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.